भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 3782
उत्तर देने की तारीख-24/03/2025

पीएम श्री योजना के अंतर्गत उन्नत किए गए स्कूल

3782. **श्री बजरंग मनोहर सोनवणे:**
श्री पी. वी. मिधुन रेड्डी:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों ने प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री) योजना को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) यदि नहीं, तो उन राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने अभी तक एमओयू पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और इसके क्या कारण हैं;
(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए कुल कितनी निधि स्वीकृत की गई है;
(घ) उक्त योजना, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के उदाहरण के रूप में 14500 स्कूलों को विकसित करना है, की राज्यवार वर्तमान स्थिति क्या है;
(ङ.) सरकार द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत उन्नयन के लिए स्कूलों के चयन के लिए अपनाए गए मानदंड क्या हैं और वर्ष 2022 में योजना की शुरुआत के बाद से चयनित स्कूलों की संख्या कितनी है;
(च) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत उन्नत किए गए स्कूलों और किए गए उन्नयन का ब्यौरा क्या है;
(छ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि ये विद्यालय अवसंरचना और समावेशिता के उच्च मानकों जैसे अबाध पहुंच और महिलाओं के लिए विशेष रूप से बनाए गए शौचालयों को बनाए रखें; और
(ज) इन विद्यालयों में उक्त योजना से शिक्षा की गुणवत्ता के संदर्भ में क्या परिणाम अपेक्षित हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): केवीएस/एनवीएस/एनसीईआरटी के साथ-साथ कुल 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने पीएम श्री योजना के कार्यान्वयन के लिए स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएंडएल), शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों ने अभी तक इस योजना को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

(ग): वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पीएम श्री योजना के अंतर्गत स्वीकृत कुल निधि **अनुलग्नक I** में संलग्न है।

(घ) से (च): पीएम श्री स्कूल केंद्र सरकार/राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित स्कूलों में से मौजूदा स्कूलों को सुदृढ़ करके स्थापित किए गए हैं। इन स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सभी पहलों को प्रदर्शित करना है और समय के साथ अनुकरणीय स्कूल के रूप में उभरना है, एवं पड़ोस के अन्य स्कूलों को नेतृत्व भी प्रदान करना है। वे अपने-अपने क्षेत्रों में एक समान, समावेशी और रुचिकर स्कूली माहौल में उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने में नेतृत्व प्रदान करते हैं जो बच्चों की विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं और विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखता है और उन्हें एनईपी 2020 के दृष्टिकोण के अनुसार अपनी स्वयं की अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाता है।

पीएम श्री योजना के तहत 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केवीएस/एनवीएस/एनसीईआरटी से कुल 12,505 पीएम श्री स्कूल चुने गए हैं, जिनमें से 1314 स्कूल प्राथमिक, 3149 स्कूल प्राथमिक, 2858 स्कूल माध्यमिक और 5184 स्कूल वरिष्ठ माध्यमिक हैं। योजना के तहत अद्यतन किए गए स्कूलों का ब्यौरा **अनुलग्नक II** में संलग्न है।

पीएम श्री स्कूलों का चयन चुनौती पद्धति के माध्यम से होता है, जिसमें स्कूल आदर्श स्कूल बनने के लिए सहयोग हेतु प्रतिस्पर्धा करते हैं। चयन निश्चित समय सीमा के साथ तीन-चरणीय प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, जो इस प्रकार है: -

चरण-1: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें पीएम श्री स्कूलों के रूप में निर्दिष्ट गुणवत्ता आश्वासन प्राप्त करने के लिए इन स्कूलों को सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है।

चरण-2: इस चरण में, यूडाइस+ डेटा के माध्यम से निर्धारित न्यूनतम बेंचमार्क के आधार पर पीएम श्री स्कूल के रूप में चयन हेतु पात्र स्कूलों के एक समूह की पहचान की जाती है।

ये मानक नवीनतम डेटा के आधार पर यूडाइस+ पोर्टल से स्वचालित रूप से भरे जाते हैं। न्यूनतम मानक जिन्हें स्कूल द्वारा पूरा किया जाना है, निम्नलिखित हैं:

i. स्कूल अपने पक्के भवन में अच्छी स्थिति में होना चाहिए।
ii. बाधारहित एक्सैस रैंप।
iii. स्कूल सुरक्षा केंद्रित होना चाहिए।
iv. प्राथमिक (कक्षा 1-5/1-8) स्तर और वरिष्ठ माध्यमिक (कक्षा 6-12/6-10/1-10/1-12) स्तर पर विद्यार्थियों का नामांकन, श्रेणी के लिए राज्य औसत नामांकन से अधिक होना चाहिए।
v. स्कूल में लड़के और लड़कियों के लिए कम से कम एक अलग शौचालय होना चाहिए।
vi. स्कूल में पीने योग्य पानी की सुविधा होनी चाहिए।
vii. स्कूल में अलग से हाथ धोने की सुविधा होनी चाहिए।
viii. सभी शिक्षकों के पास मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार फोटो पहचान पत्र होना चाहिए।
ix. बिजली की आपूर्ति चालू हालत में होनी चाहिए।
x. स्कूल में पुस्तकालय/पुस्तकालय कॉर्नर की सुविधा और खेल उपकरण होने चाहिए।

चरण-3: यह चरण कुछ मानदंडों को पूरा करने हेतु चुनौती पद्धति पर आधारित है। शहरी क्षेत्रों के स्कूलों को पीएम श्री स्कूल के रूप में चुने जाने के लिए न्यूनतम 70% अंक प्राप्त करने होंगे, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों को न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करने होंगे। शर्तों की पूर्ति को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वास्तविक निरीक्षण के माध्यम से सत्यापित किया जाना चाहिए।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जिला स्तर पर सत्यापन के बाद स्कूलों की सूची स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएंडएल), शिक्षा मंत्रालय को भेजने की सिफारिश करनी होती है तथा चुनौती पद्धति के माध्यम से अंतिम स्कूल चयन करने के लिए डीओएसईएंडएल में सचिव (डीओएसईएंडएल) की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है।

(छ) और (ज): पीएम श्री योजना में स्कूलों को विज्ञान प्रयोगशालाओं, आईसीटी-सक्षम स्मार्ट कक्षाओं, पुस्तकालय, फर्नीचर और खेल के मैदान से सुसज्जित करने का प्रावधान है। इसके अलावा, स्मार्ट बोर्ड जैसे डिजिटल अधिगम उपकरण आधुनिक, प्रौद्योगिकी-संचालित शिक्षा में सहायता करते हैं। एलईडी लाइटिंग, खाद बनाने की सुविधा और औषधीय उद्यानों की शुरूआत जैसे प्रयास पर्यावरण के अनुकूल "ग्रीन स्कूल" बनाते हैं। समावेशी शिक्षा के लिए, पीएम श्री योजना का उद्देश्य पर्याप्त और सुरक्षित बुनियादी ढाँचा प्रदान करना है, जिसमें बाधा रहित पहुँच, जेंडर-विशिष्ट शौचालय, स्वच्छ पेयजल आदि शामिल हैं।

पीएम श्री योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी घटकों को प्रदर्शित करना है और न केवल संज्ञानात्मक विकास पर ध्यान केंद्रित करना है, बल्कि 21वीं सदी के प्रमुख कौशल से सुसज्जित समग्र और सर्वांगीण व्यक्ति तैयार करना भी है। यह योजना एक न्यायसंगत, समावेशी और रुचिकर शिक्षण वातावरण बनाने पर केंद्रित है जो विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं और विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं को पूरा करता है। इन स्कूलों को छात्रों को उनकी अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक बच्चा सुरक्षित और प्रोत्साहक वातावरण में स्वागत, देखभाल और संरक्षित महसूस करे, डिज़ाइन किया गया है।

*****

अनुलग्नक I

"पीएम श्री योजना के अंतर्गत उन्नत किए गए स्कूल" के संबंध में माननीय संसद सदस्यों श्री बजरंग मनोहर सोनवणे और श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी द्वारा पूछे गए दिनांक 24.03.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3782 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पीएम श्री योजना के लिए आवंटित निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष 2023-24 में अनुमोदित निधि	केंद्रीय अंश वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2024-25 में अनुमोदित निधि	वित्त वर्ष 2024-25 में केंद्रीय अंश
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6.25	6.25	5.27	5.27
2	आंध्र प्रदेश	354.86	212.91	701.65	420.99
3	अरुणाचल प्रदेश	18.73	16.85	49.55	44.59
4	असम	127.47	114.72	296.28	266.65
5	चंडीगढ़	0.73	0.73	1.77	1.77
6	छत्तीसगढ	65.8	39.48	180.7	108.42
7	दादरा नगर हवेली और दमन दीव	2.6	2.6	1.5	1.5
8	गोवा	6.19	3.714	15.24	9.14
9	गुजरात	109.79	65.87	145.84	87.50
10	हिमाचल प्रदेश*	लागू नहीं	लागू नहीं	150.39	135.35
11	हरियाणा	85.27	51.16	199.01	119.40
12	जम्मू और कश्मीर	116.44	104.79	246.73	222.05
13	झारखंड*	लागू नहीं	लागू नहीं	258.72	155.23
14	कर्नाटक	50.3	30.18	248.42	150.85
15	लद्दाख	8.09	8.09	23.86	23.86
16	लक्षद्वीप	4.36	4.36	4.12	4.12
17	मध्य प्रदेश	219.99	131.99	329.09	197.45
18	महाराष्ट्र	211.35	126.81	504.63	302.77
19	मणिपुर	39.19	35.27	81.79	73.61
20	मेघालय	9.55	8.59	30.94	27.84
21	मिजोरम	9.12	8.20	11.27	10.14
22	नगालैंड	4.34	3.90	23.38	21.04
23	ओडिशा*	लागू नहीं	लागू नहीं	435.03	261.02
24	पुदुचेरी	3.92	2.352	10.61	6.366
25	पंजाब*	लागू नहीं	लागू नहीं	209.46	125.67
26	राजस्थान	163.95	98.37	366.76	220.05
27	सिक्किम	22.62	20.36	28.08	25.272
28	तेलंगाना	398.69	239.21	447.64	268.58
29	त्रिपुरा	26.24	23.61	46.2	41.58
30	उत्तराखंड	72.91	65.619	124.19	111.77
31	उत्तर प्रदेश	404.98	242.98	513.36	308.01
	कुल	**2543.72**	**1669.03**	**5691.48**	**3757.89**

*नोट: लागू नहीं – उपरोक्त वर्ष में राज्यों ने पीएम श्री योजना को लागू नहीं किया है।

*****

अनुलग्नक II

"पीएम श्री योजना के अंतर्गत उन्नत किए गए स्कूल" के संबंध में माननीय संसद सदस्यों श्री बजरंग मनोहर सोनवणे और श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी द्वारा पूछे गए दिनांक 24.03.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3782 के भाग (घ) से (च) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पीएम श्री स्कूलों के रूप में उन्नत किए गए स्कूलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/केवीएस/एनवीएस/एनसीईआरटी-वार ब्यौरा इस प्रकार है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/केवीएस/ एनवीएस/एनसीईआरटी	वर्ष 2023	वर्ष 2024	वर्ष 2025	कुल
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	10	1	0	11
2	आंध्र प्रदेश	662	193	0	855
3	अरुणाचल प्रदेश	41	50	2	93
4	असम	266	116	0	382
5	बिहार	0	47	789	836
6	चंडीगढ़	1	1	0	2
7	छत्तीसगढ	211	130	0	341
8	दादरा नगर हवेली और दमन दीव	5	0	1	6
9	दिल्ली	0	0	6	6
10	गोवा	12	13	3	28
11	गुजरात	274	174	0	448
12	हिमाचल प्रदेश	0	180	0	180
13	हरियाणा	124	117	9	250
14	जम्मू और कश्मीर	233	163	0	396
15	झारखंड	0	339	6	345
16	कर्नाटक	129	348	108	585
17	लद्दाख	14	22	0	36
18	लक्षद्वीप	8	3	0	11
19	मध्य प्रदेश	413	273	101	787
20	महाराष्ट्र	516	311	0	827
21	मणिपुर	69	36	0	105
22	मेघालय	22	33	8	63
23	मिजोरम	22	8	5	35
24	नगालैंड	9	34	6	49
25	ओडिशा	0	449	13	462
26	पुदुचेरी	8	4	0	12
27	पंजाब	0	233	114	347
28	राजस्थान	402	237	0	639
29	सिक्किम	30	13	0	43
30	तेलंगाना	543	251	0	794
31	त्रिपुरा	57	25	2	84
32	उत्तराखंड	141	84	1	226
33	उत्तर प्रदेश	928	779	6	1713
34	केन्द्रीय विद्यालय	730	134	20	884
35	एनवीएस	312	308	0	620
36	एनसीईआरटी	0	0	4	4
	कुल	**6192**	**5109**	**1180**	**12,505**

*****